रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2004.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2004/26 भाद्रपद, 1926

**हिमाचल प्रदेश सरकार**

राजस्व विभाग

(रजिस्ट्रेशन-स्टाम्प)

**अधिसूचना**

शिमला-2, 31 अगस्त, 2004

संख्या 5-10/74-राजस्व-ए.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यथालागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5-10/74-रैव-ए, तारीख 18 मार्च, 2002 की निरन्तरता में, हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1968 के अधीन कोआपरेटिव बैंकों राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपने निवास गृह के निर्माण या क्रय के लिए गृह निर्माण अग्रिम को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे बैंकों के पक्ष में निष्पादित आडमान पत्रों की लिखतों अर्थात् बिना कब्जा बन्धक पर प्रभार्य, पूर्ण स्टाम्प शुल्क की समस्त हिमाचल प्रदेश में, तुरन्त प्रभाव से छूट देते हैं:

1936-राजपत्र/2004-17-9-2004—1,417. (1853) मूल्य : 1 रुपया ।

परन्तु रहाम्प शुल्क में दी गई ऐसी छूट, प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपने जीवन में केवल एक गृह निर्माण के लिए दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी।

आदेश द्वारा,
सी० पी० पाण्डे,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of the notification No.* 5-10/74-*Revenue-A, dated* 31-8-2004 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

**REVENUE DEPARTMENT**
**(Stamp-Registration)**

NOTIFICATION

*Shimla*-171002, *the* 31*st August*, 2004

No. 5-10 74 Revenue-A.- In supersession of this Department Notification No. 5-10/74-Revenue-A, dated 18-3-2002, and in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899), as applicable to State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to remit the entire stamp duty chargeable on instruments of Hypothecation *i. e.* mortgage without possession executed by the employees of H. P. State Government, the employees of the H. P. State Govt. Public Sector Undertakings and the employees of autonomous bodies for securing a house building loan from the Co-operative Banks registered under the H. P. Co-operative Societies Act, 1968, Nationalised Banks and Himachal Pradesh Regional Rural Banks, for construction or purchase of a dwelling house for their own use and executed in favour of aforesaid banks, with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh :

Provided that the stamp duty so remitted shall be for one H. B. A. per employee in his career further subject to the maximum ceiling of Rs. 10.00 lakhs.

By order,

C. P. PANDEY,
*F.C.-cum-Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित